फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री किशनलाल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136,131 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 102/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 23.08.2022 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार मावली से जांच कर रिपोर्ट प्राप्त हैं। तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सेग्रीगेशन के दौरान नक्शा तरमीम में सेहवन से आराजी नम्बर 6155/2848 को पश्चिम दिशा में व 2848 मी. को पूर्व दिशा में एवं 6270/2848 को दोनो आराजीयात के मध्य में तरमीम अंकित कर दी गई है जबकि नामान्तरकरण सं. 1599 सहमति विभाजन नक्शा ट्रेस व नामान्तरकरण सं. 189 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्व तरमीम पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 6155/2848 खातेदार सुन्दरलाल पिता डालचन्द मेहता एवं उत्तर पश्चिम की ओर 2848 मी. खातेदार सुन्दरलाल पिता डालचन्द मेहता व दक्षिण पश्चिम कोने में आराजी नम्बर 6270/2848 खातेदार किशनलाल पिता भेरूलाल खटीक काबिज होने से इसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम को शुद्व किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली के रिपोर्ट अनुसार सेग्रीगेशन के दौरान नवीनतम तरमीम से उक्त अशुद्वि होना बताया है, जिसमें प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम को शुद्व किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण के अवलोकन से उक्त नक्शा ट्रेस में त्रुटि सेग्रीगेशन के दौरान होना प्रतीत होता हैं। विक्रय पत्र व सहमति विभाजन के साथ लगे नक्शे अनुसार तरमीम नहीं हुई हैं गलत तरमीम होने से प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के साथ नक्शें में तरमीम की अशुद्वि को शुद्व करने हेतु प्रस्तावित नक्शा पेश किया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136, 131 का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लोढावास पटवार हल्का थामला की आराजी नम्बर 2848, 6270/2848, 6155/2848 भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Kapil Kumar Kothari Date: 2022.08.29 14:13:49 IST Reason: SelfAttested (कपिल कुमार कोठारी) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	